झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु झारखण्ड सरकार, उद्योग विभाग के संकल्प ज्ञापांक–1307 दिनांक–11.07.2013 के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को उद्योग विभाग से संबंधित दायित्वों, कार्यों एवं शक्तियों को प्रत्यायोजित किया गया है।

उपर्युक्त संकल्प के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को उद्योग विभाग अन्तर्गत प्रत्यायोजित शक्तियों के कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित अनुदेश दिये जाते हैं :-

ग्राम पंचायत का कार्य (Functions)

1. Entrepreneurship Development Programme (EDP)/ Skill Development Programme (SDP)/ Entrepreneurship cum Skill Development Programme (ESDP) or Vocational Training (VT) आदि योजनाओं में लाभार्वितों की सूची को ग्राम पंचायत के अवलोकनार्थ रखी जा सकेगी।
2. उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना में संबंधित पंचायतों का सहयोग अपेक्षित होगा।
3. स्थानीय उद्योगों में नियोजन हेतु प्रशिक्षुओं के चयन में ग्राम पंचायत सहयोग प्रदान करेगी।
4. खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं में हितग्राहियों का चयन ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित कर की जायेगी।
5. रेशम के विकास के लिए ग्राम पंचायत के स्तर पर चयनित लाभुकों की सूची रखी जायेगी।
6. ग्राम पंचायत सामान्य सुलभ केन्द्रों के लाभूकों के चयन में सहायता प्रदान करेगी।
7. परंपरागत कुशल कारीगरों की पहचान कर उसके अनुरुप घरेलू उद्योगों के विकास की समेकित योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करेगी।
8. रेशम, हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उद्योगों के लिए स्वयं सहायता समूहों के गठन में सहयोग प्रदान करेगी।
9. कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु भूमि के चयन में सहयोग करेगी।

कार्मिक (Functionaries)

1. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, जिला परिषद की सभी होनेवाली बैठकों में भाग लेंगे। सभी विभागीय कार्य/ योजनाओं का आवंटन/व्यय/अनुदान/लाभूक इत्यादि की जानकारी देंगे।
2. सहायक उद्योग निदेशक, (रेशम) अपने कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाले सभी जिला परिषद की बैठक में भाग लेंगे।
3. सहायक उद्योग निदेशक, (रेशम) सभी विभागीय कार्य/ योजनाओं का आवंटन/व्यय/ अनुदान/ लाभूक इत्यादि की जानकारी देंगे।
4. हस्तशिल्प संसाधन–सह–विकास केन्द्र/बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, जिला परिषद की सभी बैठकों में भाग लेंगे।
5. हस्तशिल्प संसाधन–सह–विकास केन्द्र/बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी सभी विभागीय कार्य/ योजनाओं का आवंटन/व्यय/अनुदान/ लाभूक इत्यादि की जानकारी देंगे।
6. अग्र परियोजना/परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र, पंचायत समिति की सभी बैठकों में भाग लेंगे।
7. अग्र परियोजना/परियोजना पदाधिकारी, अग्र परियोजना केन्द्र सभी विभागीय कार्य/ योजनाओं का आवंटन/व्यय/अनुदान/लाभूक इत्यादि की जानकारी देंगे।

(231)

8. टूल रूम/अन्य संस्थान के प्रधान भी संबंधित जिला के जिला परिषद की बैठक में भाग लेंगे।
9. टूल रूम/अन्य संस्थान के प्रधान संस्थान के क्रिया-कलाप की जानकारी देंगे।
10. जिला स्तर पर क्रियान्वित की जानेवाली वार्षिक योजनाओं की प्रगति के प्रतिवेदन का अनुश्रवण जिला परिषद की बैठकों में की जायेगी।

पंचायत समिति का कार्य

1. पंचायत समिति अपने क्षेत्र में लघु उद्योग के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार करने में सहयोग करेगी
2. पंचायत समिति अपने क्षेत्र में अग्र परियोजना केन्द्रों, खादी एवं ग्रामोउद्योग केन्द्रों का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवन करेगी।

जिला परिषद का कार्य

1. जिला परिषद PMEGP/ प्रधानमंत्री रोजगार योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवन करेगी।
2. स्थानीय क्षमता (Identification of traditional skill) का आकलन, MSE उद्योग का विकास में जिला परिषद जिला उद्योग केन्द्र को दिशा-निर्देश देगा।
3. जिला परिषद रेशम के विकास योजना खादी एवं ग्रामोद्योग की योजनाओं, हस्तशिल्प संसाधन-सह-विकास केन्द्र/बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र का योजना का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवन करेगी।

उपर्युक्त के आलोक में सभी संबंधितो को आदेश दिया जाता है कि इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

23.12.13
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 2309 /राँची, दिनांक 31.12.13/
02/उ0वि0 (विविध) बैठक-08/13

प्रतिलिपि :- निदेशक उद्योग/निदेशक हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय/ सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, झारखण्ड/ सभी अग्रपरियोजना केन्द्र, झारखण्ड/ प्रबंध निदेशक, आयडा/बियाडा/रियाडा/स्पियाडा/ प्राचार्य, मिनी टूलरूम, राँची/दुमका/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग पर्षद/ सभी अवर सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

23.12.13
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 2309 /राँची, दिनांक 31.12.13/
02/उ0वि0 (विविध) बैठक-08/13

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ प्रधान आप्त सचिव/सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/ सभी प्रधान सचिव/ सचिव एवं विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ प्रेषित।

23.12.13
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 2309 /राँची, दिनांक 31.12.13/
02/उ0वि0 (विविध) बैठक-08/13

प्रतिलिपि :- उप सचिव, पंचायती राज एवं एन0आर0ई0पी0 (विशेष प्रमण्डल) विभाग, झारखण्ड, राँची को उनके पत्रांक-2372 दिनांक-02.09.2013 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23.12.13
सरकार के सचिव